राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुरजमल बनाम प्रभु

तारीख हुक्म	689/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
26/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक़ दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 14/05/2025 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर आवंटित भूमि के सम्बन्ध में वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नही होने से दावा विधि द्वारा वर्जित होना धारित करते हुए वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नाधीन वाद प्रतिवादी/रेस्पो. प्रभु के नाम आवंटित खातेदारी भूमि में से खातेदारी घोषणा एवं बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया गया था एवं ऐसेमें आवंटित भूमि के आवंटी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में घोषणा करवाने हेतु वादी/अपीलार्थी को कोई अधिकार नही होना, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारित किया गया है। विधि के प्रावधानों के परिदृश्य में उचित प्रतीत नही होता है। विधिक प्रावधानों के अनुसार घोषणा के बिन्दु को तय करने के लिये विचारण न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वे वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत प्राप्त कर प्राप्त साक्ष्य सबूत/दस्तावेजात का तनकीवार विस्तुत परिक्षण/विवेचन करते हुये घोषणा के वाद का निस्तारण करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर घोषणा के वाद को ख़ारिज करने में विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14/05/2025 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुरजमल बनाम प्रभु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीवार विस्तुत विवेचन करते हुए वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	